

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, बुधवार जनवरी 1, 1981/पौष 11, 1902
No. 4] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 1, 1981/PAUSA 11, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1981

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का० आ० 4(अ):—सं० ई० (सी) सी० 1977/ए० एम० (190):—आयात तथा
निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा-3 के अंतर्गत प्रवर्तित अधिकारों
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एनए द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में और आने
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात्—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) पहला संशोधन आदेश, 1981 की संज्ञा दी जाए।

2. निर्यात नियंत्रण आदेश, 1977 में खुले सामान्य लाइसेंस-3 में क्रम सं० 65 के सामने की प्रविष्टि निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :—

1	2	3	4
65. लकड़ी एवं हमारसी लकड़ी अर्थात् निम्नलिखित :—			
(1) डस्ट चिप्स, फ्लेक्स और पाउडर के रूप में चन्दन की लकड़ी		बी 60	—
(2) बैल			

[मिसिल सं० 6/4-80-ई० 1]

मणि नारायणस्वामी, मुख्य निर्यातक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 1st January, 1981.

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 4(E)—No.E(C)O, 1977/AM(190) :—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) 1st Amendment Order, 1981.
2. In Exports (Control) Order, 1977, in OGL.3, the entry against S.No-65 shall be substituted by the following :—

1	2	3	4
65. Wood and timber, viz., the following :—		B. 60	—
(i) Sandal wood in the form of dust chips, flakes and Powder			
(ii) Cane			

[F. No. 6/4/80-EI]

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of Imports & Exports.